न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 166/2019

1. सिकन्दर पुत्र मेहरदीन
2. मोहम्मद पुत्र मेहरदीन
3. मेहबूब पुत्र मेहरदीन
4. इलियास पुत्र मेहरदीन
5. हजुरखां पुत्र मेहरदीन
6. जमी पत्नी मेहरदीन
   जातियान मुलसमान, निवासीगण ग्राम नूरे की भूर्ज
   तहसील बाप, जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)
7. सरीफो पुत्री मेहरदीन पत्नी जुसुब खां मुसलमान
   निवासी बाहला, तहसील नाचना
   जिला जैसलमेर
8. रेहमत पुत्री मेहरदीन पत्नी मौलाबक्स
9. इमामत पुत्री मेहरदीन पत्नी सोनेखां
   जातियान मुसलमान, निवासीगण भडला
   तहसील बाप जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)
10. यार मोहम्मद पुत्र मलु खां मुसलमान
    निवासी ग्राम नूरे की भूर्ज
    तहसील बाप, जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

1. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार बाप
2. ताज मोहम्मद पुत्र खेर मोहम्मद मुसलमान
   निवासी ग्राम नूरे की भूर्ज
   तहसील बाप, जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध म्युटेशन संख्या 951 दिनांक 29 अगस्त 2019

उपस्थित–
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
रेस्पो. संख्या एक की ओर से राजकीय अधिवक्ता
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या दो

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 03 सित., 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय तहसीलदार बाप द्वारा स्वीकृत म्युटेशन संख्या 951 दिनांक 29 अगस्त 2019 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या दो द्वारा न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवण्टन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत एक प्रार्थनापत्र खसरा संख्या 295 रकबा 25 बीघा वाके गांव नूरे की भुर्ज को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जो स्वीकार करते हुए न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16 अगस्त 2019 के अनुसरण में तहसीलदार बाप द्वारा म्युटेशन संख्या 951 दिनांक 29 अगस्त 2019 स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि का आवण्टन सोजा पत्नी काले खां के नाम दिनांक 19 जून 1971 को विधिवत किया गया, वक्त आवण्टन आवण्टी के नाम अन्य कोई खातेदारी भूमि नही थी, जिससे वह भूमिहीन की श्रेणी में आती थी। वक्त आवण्टन से निरन्तर आवण्टी का आवण्टित भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। रेस्पो. संख्या दो की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में कार्यवाही मूल रेकर्ड तलबी हेतु चल रही थी, मगर मूल रेकर्ड प्राप्त हुए बिना और कोई मौका रिपोर्ट तलब किये बिना ही न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा निर्णय दिनांक 16 अगस्त 2019 के जरिये रेस्पो. संख्या एक के प्रार्थनापत्र को आधार मानते हुए उक्त आवण्टन खारिज कर दिया गया। इतना ही नहीं, रेस्पो. संख्या एक हितबद्ध पक्षकार नहीं होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थनापत्र चलने योग्य ही नहीं था। इन परिस्थितियों में न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 16 अगस्त 2019 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं होने से अपीलाण्ट्स द्वारा अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अदालत हाजा में अपील दिनांक 28 अगस्त 2019 को पेश कर दी गयी, जिसमें राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप भी पक्षकार है। इसके उपरान्त भी अपील के निस्तारण के पूर्व ही तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2019 को आलौच्य म्युटेशन संख्या 951 स्वीकृत कर दिया गया। जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो ने जाहिर किया कि अपीलाण्ट्स की ओर से न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी के निर्णय दिनांक 16 अगस्त 2019 के खिलाफ प्रस्तुत अपील की कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई निषेद्याज्ञा जारी नहीं होने से तहसीलदार बाप द्वारा म्युटेशन संख्या 951 दिनांक 29 अगस्त 2019 विधिसम्मतः पारित किया गया है। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी के निर्णय दिनांक 16 अगस्त 2019

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

के खिलाफ प्रस्तुत अपील में अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय से उभयपक्षकार आबद्ध रहेंगे और तदनुसार कार्यवाही की जावेगी। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में तहसीलदार बाप द्वारा म्युटेशन संख्या 951 दिनांक 29 अगस्त 2019 न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 3/2017 में पारित निर्णय दिनांक 16 अगस्त 2019 के अनुसरण में कार्यवाही करते हुए पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि तत्समय उक्त निर्णय दिनांक 16 अगस्त 2019 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित रखे जाने बाबत किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किसी प्रकार की कोई निषेद्याज्ञा प्रभावी होना उपलब्ध अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार बाप द्वारा आलौच्य मामले में की गयी कार्यवाही एवं स्वीकृत म्युटेशन संख्या 951 दिनांक 29 अगस्त 2019 में किसी प्रकार की कोई अनियमितता अथवा कोई विधिक त्रुटि नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है और तहसीलदार बाप द्वारा न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 3/2017 में पारित निर्णय दिनांक 16 अगस्त 2019 के अनुसरण में की गयी कार्यवाही एवं स्वीकृत म्युटेशन संख्या 951 दिनांक 29 अगस्त 2019 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज दिनांक 03 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर